संख्या- 57/2015/251/22-4-15-22/99

प्रेषक,

आर0 के0 द्विवेदी
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग 4 लखनऊ दिनांक- 03 मार्च, 2015

विषय- प्रदेश की कारागारों में निष्प्रयोज्य वाहनों के प्रतिस्थापन हेतु नये वाहन के क्रय की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2350/नजारत-4/55/वा0क्र0/2014, दिनांक 27.01.2015 एवं पत्र संख्या- 5585/नजारत-4/55/वा0क्र0/2014, दिनांक 20.02.2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रदेश की कारागारों में निष्प्रयोज्य 02 नग जीप के स्थान पर 01 नग पेट्रोल चालित अर्टिगा वीएक्सआई वाहन मूल्य रू0 6,55,920/- तथा 01 नग सिआज पेट्रोल चालित वाहन मूल्य रू0 6,82,710/- इस प्रकार कुल 02 नये वाहनों को क्रय किये जाने हेतु रू0 13,38,630/-(रूपया तेरह लाख अड़तीस हजार छः सौ तीस मात्र) की धनराशि आहरित कर व्यय किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) वाहनों का क्रय डी0जी0एस0एण्ड डी0 की दरों पर शासन द्वारा निर्गत सुसंगत नियमों/निर्देशों विशेष रूप से नये वाहनों के क्रय विषयक परिवहन अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या- 3552-टी/30-4-86-1-जे0बी0-78, दिनांक 12.11.86 एवं शासनादेश संख्या-3264-टी/30-4-8-के0एम0/87, दिनांक 11 अगस्त, 1989 के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) वर्तमान वित्तीय वर्ष में भारत सरकार/डी0जी0एस0एण्ड डी0 द्वारा मोटर वाहनों की कीमत/दरों में किसी आदेश द्वारा यदि कमी/संशोधन किया गया है, तो इसकी जानकारी महानिरीक्षक, कारागार द्वारा की जायेगी और तद्नुसार कम/संशोधित दरों के अनुसार ही आपूर्तिकर्ता फर्म को भुगतान करने हेतु वास्ताविक धनराशि आहरित की जायेगी।

(3) क्रय की कार्यवाही पूर्ण होने पर महानिरीक्षक, कारागार द्वारा इसकी सूचना शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

(4) प्रश्नगत वाहनों का क्रय समस्त सुसंगत नियमों तथा विहित प्रक्रिया का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा एवं क्रय सम्बन्धी समस्त नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) उक्त शर्तो का अनुपालन महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं एवं कारागार मुख्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक सुनिश्चित करेंगे और इन शर्तो में किसी प्रकार के विचलन के लिए वे उत्तरदायी होंगे।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि किसी वाहन का प्रतिस्थापन एक से अधिक बार न हो।

(7) यह भी देख लिया जाय कि जिस कार्यक्रम/योजना/सेवा के अन्तर्गत वाहनों का क्रय किया गया था, वह विघमान है और उसके लिए वाहनों की आवश्यकता है।

(8) निष्प्रयोज्य वाहनों का अधिकतम 03 माह की अवधि में निस्तारण कर धनराशि राजकोष में जमा किया जाना सुनिश्चित कर लिया जायेगा और उसकी सूचना शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

(9) वाहनों के क्रय के बाद यदि कोई धनराशि बचती है तो वह राजकोष में जमा कर दी जायेगी।

(10) उक्त वाहनों का क्रय दिनांक 31.03.2015 तक कर लिया जायेगा।

2- उक्त वाहनों के क्रय पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक " 2056-आयोनेत्तर-101-समस्त कारागार-03-मुख्य- 14-मोटर गाडियों का क्रय" की मद में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22.07.2014 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

<u>संख्या- 57/2015/251(1)/22-4-15-तद्दिनांकित-</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(3) मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।

(4) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(5) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2

(6) वित्त संसाधन(केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।

(7) उप महानिरीक्षक कारागार, मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ।

(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in